हरियाणा सरकार.

वन तथा वन्य प्राणी विभाग,

अधिसूचना

दिनांक 20 अप्रैल, 2022

संख्या का०आ० 19/के०अ० 16/1927/धा० 41, 42, 51 तथा 76/2022.— चूंकि, हरियाणा सरकार, वन विभाग द्वारा हरियाणा राज्य में काष्ठ आधारित उद्योगों को विनियमित करने के लिए हरियाणा काष्ठ आधारित उद्योग वन विनियमन नियम, 2005 बनाए गए थे और जिन्हें हरियाणा राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 31 अक्तूबर, 2005 को प्रकाशित करवाया गया था :

और चूंकि, टी.एन. गोदावर्मन तिरूमलपाद बनाम भारत संघ तथा अन्य मामले में रिट याचिका (सिविल) संख्या 202 ऑफ 1995 में माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 5 अक्तूबर, 2015 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा काष्ठ आधारित उद्योगों (स्थापना और विनियमन) दिशानिर्देश, 2016 अधिसूचित किए गए तथा जिन्हें भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, में दिनांक 11 नवम्बर, 2016 को प्रकाशित करवाया गया था;

और चूंकि, भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उक्त दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है तथा जिन्हें भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, में दिनांक 11 सितम्बर, 2017 को प्रकाशित करवाया गया था;

और चूंकि, काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशानिर्देश, 2016 द्वारा अपेक्षा की गई है कि राज्य अपने विद्यमान नियमों को इन दिशानिर्देशों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुरूप बनाएं;

इसलिए, अब, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 41 की उपधारा (2)के साथ पठित उप—धारा (1), धारा 42, 51 और 76 द्वारा प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य में काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना और विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

संक्षप्ति नाम तथा 1. (1) ये नियम हरियाणा काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) नियम, 2022, कहे जा प्रारम्भ। सकते हैं।

- (2) ये सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में लागू होंगे।
- (3) ये काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशानिर्देश, 2016 की अधिसूचना की तिथि से प्रभावी समझे जाएंगे।

परिभाषाएं।

2.

- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16);
 - (ख) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय है, क्षेत्रीय वन मण्डल का प्रभार धारण करने वाला उप वन संरक्षक या मण्डल वन अधिकारी;
 - (ग) "वन" से अभिप्राय है, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16) के उपबन्धों के अधीन अधिसूचित कोई वन क्षेत्र या माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय, द्वारा वनों के रूप में वर्गीकृत कोई अन्य क्षेत्र;
 - (घ) "प्ररूप" से अभिप्राय है, इन नियमों में संलग्न प्ररूप;
 - (ड़) "अनुज्ञप्ति" से अभिप्राय है, इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति,
 - (च) "प्राथमिक इकाईयों" से अभिप्राय है, ऐसी इकाईयां, जिनमें अपिष्कृत लकड़ी का उपयोग किया जाता है। जैसे आरा मशीन, छिलाई मशीन, चिपिंग इकाईयां (जिसमें इम चिप्पर होता है, जो गोल लकड़ी को संसाधित करता है) इत्यादि या किसी अन्य रूप में जैसे चंदन, कत्था लकड़ी और कोयला। ऐसी काष्ठ आधारित उद्यौगिक इकाईयां जो कटाई कृषि वानिकी प्रजातियों के रूप में घोषित या कृषि उत्पाद के रूप में अधिसूचित तथा / या कटाई विनियमों से छूट प्राप्त से भिन्न घरेलू मूल गोल लकड़ी का उपयोग करते हुए साठ सैंटीमीटर व्यास से अधिक के बैंड आरा या री—आरा या गोल आरा या गोलाकार आरा से संचालित है:
 - (छ) "संरक्षित क्षेत्र" का वही अर्थ होगा, जो उसे वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 53) के अधीन दिया गया है;

- (ज) "पंजीकरण" से अभिप्राय है, इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया पंजीकरण;
- (झ) "गोल लकडी" से अभिप्राय है, इसके प्राकृतिक रूप में लकडी का टुकडा, जिसकी छाल के नीचे तीस सैंटीमीटर अथवा इससे अधिक का मध्य घेरा हो और इसमें ऐसी गोल लकड़ी भी शामिल होगी, जिसकी छाल को हटाया गया हो अथवा इसके परिवहन या भण्डारण को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजन के लिए इसके कॉस सेक्शन को वर्गाकार या वर्गाकार बनाने के लिए मैन्युअल रूप से या बैंड आरा या किसी अन्य मशीन या उपकरण का प्रयोग करते हुए इसकी सतह को तैयार किया
- (ञ) "आरा मशीन" से अभिप्राय है, चीरी हुई लकड़ी को गोल लकड़ी में परिवर्तित करने के लिए नियत संरचना अथवा बाडे में स्थित कोई संयंत्र और मशीनरी;
- (ट) "चीरी लकडी" से अभिप्राय है, शहतीर, कडी, पटरा, तख्ता और गोल लकडी को चीरने से प्राप्त हुआ कोई ऐसा अन्य उत्पाद;
- (ठ) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इन नियमों से सलग्न अनुसूची;
- "द्वितीयक इकाईयों" से अभिप्राय है, वे काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाईयां, जिनमें मशीनरी लगी होती है और जिनमें आगे की प्रक्रिया के लिए प्राथमिक इकाईयों से लकड़ी ली जाती है, जैसे बैंड आरी के बिना स्टेंडएलोन और छिलाई मशीनरी, छिलाई मशीनरी के बिना स्टेंडएलोन, पार्टिकल बोर्ड बनाने वाली मध्यम घनत्व फाइबर, पार्टिकल बोर्ड, ब्लॉक बोर्ड, कागज की लुगदी, रेयॉन इकाईयां, छिलाई रहित प्लाईवुड पेस्टिंग इकाईयां;
- (ढ) "राज्य सरकार" से अभिप्राय हैं, हरियाणा सरकार;
- (ण) "राज्य स्तरीय समिति" से अभिप्राय है, नियम 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित कोई समिति:
- (त) "क्षेत्रीय वन मण्डल" से अभिप्राय है, राज्य सरकार का सम्बन्धित क्षेत्रीय वन मण्डल;
- (थ) "काष्ठ आधारित उद्योग" से अभिप्राय है, कोई ऐसा उद्योग, जिसमें कच्ची सामग्री के रूप में लकड़ी को संसाधित किया जाता है (आरा मशीन/विनीर/प्लाईवुड अथवा किसी अन्य स्वरूप में जैसे चंदन, कत्था की लकडी इत्यादि)।
- इन नियमों में प्रयुक्त किन्तू अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें क्रमशः भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16) में दिए गए हैं।
- राज्य सरकार निम्नलिखित स्थायी सदस्यों से मिलकर बनने वाली राज्य स्तरीय समिति राज्य स्तरीय समिति का गठन करेगी, अर्थात :--

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), हरियाणा

प्रतिनिधि

का गठन।

अध्यक्ष

	· • • ·	
2.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, हरियाणा	सदस्य
3.	भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के प्रादेशिक कार्यालय का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वानिकी), हरियाणा	सदस्य सचिव
5.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), हरियाणा	सदस्य
6.	मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय), हरियाणा	सदस्य
7.	हरियाणा वन विकास निगम का प्रतिनिधि, जो मुख्य महाप्रबन्धक की पदवी से नीचे का न हो	सदस्य
8.	निदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, हरियाणा या उसका	सदस्य

राज्य स्तरीय समिति, वन विभाग में कार्यरत बहुत से अन्य अधिकारियों और कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा तथा राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा के अधिकारियों को भी सहयोजित कर सकती है।

- (3) राज्य स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय समिति की हरेक और प्रत्येक बैठक के लिए विशेष आमंत्रिती के रूप में सभी आरा मशीन संगठनों द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एक प्रतिनिधि को आमंत्रित कर सकती है।
 - (4) राज्य स्तरीय समिति, तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।
- (5) बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष सहित उपस्थित सदस्यों के कम से कम पचास प्रतिशत से होगी।

राज्य स्तरीय समिति की शक्तियां तथा कृत्य।

- 4. राज्य स्तरीय समिति की निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे:--
 - (i) प्रत्येक पांच वर्ष में काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए इमारती लकड़ी की उपलब्धता का निर्धारण करना:
 - (ii) काष्ठ आधारित उद्योग की आवश्यकता के लिए विभिन्न कच्चे माल की मात्रा का निर्धारण करना, जिसकी राज्य में वन क्षेत्र से बाहर संधारणीय रूप में वृक्षों की कटाई से की जा सकती है
 - (iii) राज्य के घरेलू बाजार में इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की वार्षिक आवश्यकता का निर्धारण करना;
 - (iv) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक काष्ठ आधारित उद्योग द्वारा प्रयुक्त इमारती लकड़ी और अन्य कच्चे माल का डाटाबेस बनाए रखना, जिन्हें राज्य में स्थापित और परिचालन की अनुमित है;
 - (v) काष्ट आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थलों का अनुमोदन करना;
 - (vi) काष्ठ आधारित उद्योगों के नाम का अनुमोदन करना, जिनको नई अनुज्ञप्ति देने या मौजूदा अनुज्ञप्त क्षमता में वृद्धि करने पर विचार किया जा सकता है, यदि राज्य स्तरीय समिति की संतुष्टि हो जाती है कि इमारती लकड़ी (जैसे वन, वनों इत्यादि से बाहर वृक्ष के रूप में) उक्त नए काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए विधिक रूप से उपलब्ध है;
 - (vii) यह सुनिश्चित करना कि वन विभाग के पास कॉपर्स फण्ड के रूप में जमा राशि(काष्ट आधारित उद्योग से वसूली गई)का उपयोग केवल पौधारोपण कार्य व वानिकी को बढ़ावा देने के लिए किया जाए।
 - (viii) नया पंजीकरण प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति प्रदान करना या मौजूदा अनुज्ञप्त क्षमता में वृद्धि करना/इकाईयों का अन्तरण करना/स्वामित्व में परिवर्तन करना या अनुज्ञप्ति/ पंजीकरण से संबंधित कोई अन्य मामला, यदि राज्य स्तरीय समिति की संतुष्टि हो जाती है कि इमारती लकड़ी (जैसे वन, वनों इत्यादि से बाहर वृक्ष के रूप में) उक्त नए काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए विधिक रूप से उपलब्ध है;
 - (ix) अनुज्ञप्ति, पंजीकरण प्रदान करने के लिए विभिन्न फीस तथा हरित फीस के लिए समय-समय पर राज्य सरकार को सिफारिशें करना;
 - (x) राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य मामले की जांच करना और उपयुक्त सिफारिश करना।

इमारती लकड़ी का अनुमानित वार्षिक उपभोग । 5. आरा मशीनों के लिए इमारती लकड़ी की आवश्यक मात्रा का मूल्यांकन करने के प्रयोजन हेतु, विभिन्न क्षमताओं वाले आरा मिलों के लिए गोल लकड़ी की वार्षिक जरूरत, वर्ष 2007 में माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित की गई केन्द्रीय सशक्त समिति द्वारा अनुमोदित मानदंड के आधार पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा नियत की जा सकती है।

काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना पर निर्बन्धन ।

- 6. (1) कोई भी व्यक्ति तब तक किसी भी काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना, स्थापित क्षमता में विस्तार या संचालन नहीं करेगा जब तक वह पंजीकृत नहीं है और इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति या पंजीकरण प्राप्त नहीं किया जाता है।
- (2) रोड साइड या रेलवे साइड / कैनाल साइड के सुरक्षित वनों को छोड़कर, निकटतम वनों या संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से तीन किलोमीटर वायु मार्ग की दूरी के भीतर अवस्थित उद्योग को अनुज्ञप्ति या पंजीकरण प्रदान नहीं किया जाएगा :

परन्तु कोई भी काष्ठ आधारित उद्योग नजदीकी आरक्षित वन या संरक्षित वन की सीमा से वायु मार्ग की दूरी पर विचार किए बिना औद्योगिक सम्पदा या नगरपालिका क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है ।

किसी भी काष्ठ आधारित उद्योग को अनुज्ञप्ति या पंजीकरण प्रदान नहीं किया जाएगा, यदि यह पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के लिए, प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए, और राज्य में ऐसे प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों से संबन्धित अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अंकित अधिसचित दरी के भीतर अवस्थित है:

परन्तु इन नियमों में दी गई कोई भी बात, घरेलू बढ़ईगिरी, फर्नीचर बनाने वाली इकाईयों और आग जलाने वाले ईंधन डिपो के साधारण परिचालनों पर लागू नहीं होगी, जो गोल इमारती लकड़ी को चीरने, परिवर्तित करने, कटाई तथा संसाधित करने की सुविधा का उपयोग नहीं करते हैं अथवा जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं है।

तीस सैंटीमीटर डायामीटर तक के बैंड आरा या री-आरा या गोल आरा के बिना घरेलू स्रोत की अनुज्ञप्ति के लिए गोल लकड़ियों का प्रयोग या संचालित नहीं करने वाले निम्नलिखित काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात्:-

- वैद्य स्रोतों से प्राप्त चिरान इमारती लकड़ी, केन, बांस, बेंत, प्लाईवुड, विनियर या आयातित उत्पादः
- वैद्य स्रोत से प्राप्त ब्लैक बोर्ड, मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड या समरूप लकड़ी आधारित (ख)
- (ग) कृषि-वानिकी / कृषि फसल के रूप में घोषित प्रजातियों से प्राप्त या पंजाब भू-परिरक्षण अधिनियम, 1900 (1900 का पंजाब अधिनियम 2) की धारा 4 के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त गोल लकडी / इमारती लकडी:

परन्तु राज्य स्तरीय समिति ऐसे उद्योगों में, जिनकी विशेषीकृत आवश्यकता है, साठ सेंटीमीटर तक के व्यास के वृत्ताकार आरे को लगाने की स्वीकृति दे सकती है।

नियम ७ में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सभी काष्ट आधारित उद्योगों का पंजीकरण राज्य स्तरीय समिति के पास करवाया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित होंगे;

काष्ट आधारित उद्योगों का पंजीकरण।

परन्तु ऐसे काष्ठ आधारित उद्योग इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि वे केवल कृषि-वानिकी / कृषि फसल के रूप में घोषित प्रजातियों से प्राप्त और / या राज्य कटाई के कार्यक्षेत्र तथा अभिवहन विनियमों से छूट प्राप्त और वैध स्रोतों से प्राप्त गोल लकड़ी या इमारती लकड़ी का ही प्रयोग करेंगे ।

- काष्ठ आधारित उद्योग का पंजीकरण करवाने वाला इच्छुक कोई व्यक्ति, सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित विनिर्दिष्ट ऐसी फीस सहित प्ररूप-I में अनुज्ञप्ति या पंजीकरण प्राप्त करने के लिए राज्य स्तरीय समिति को ऑनलाईन आवेदन करेगा ।
- उपनियम (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, राज्य स्तरीय समिति सक्षम प्राधिकारी को इसे भेजेगी। सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच करेगा, जो वह उचित समझे और राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी किए गए दिशानिर्देशों के अध्यधीन स्वयं की संतुष्टि करने के बाद, अपनी टिप्पणियों या सिफारिशों के साथ राज्य स्तरीय समिति को आवेदन प्रस्तुत करेगा ।
- राज्य स्तरीय समिति, सभी प्रासंगिक शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, आवेदन का अनुमोदन कर सकती है:

परन्तु राज्य स्तरीय समिति को आवेदन रद्द करने की शक्तियाँ होंगी, यदि आवेदन प्रकिया के दौरान या पंजीकरण प्रदान करने के बाद भी किसी भी समय पर आवेदन/या समर्थित दस्तावेजों में कोई विसंगति ध्यान में आती है।

- राज्य स्तरीय समिति की पूर्व अनुमति के बिना काष्ठ आधारित उद्योग के लिए किसी भी पंजीकरण का अनुमोदन नहीं किया जाएगा।
- मौजूदा काष्ठ आधारित उद्योग, जिसे इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है और इकाईयों, जिनके लिए अनुज्ञप्ति आवश्यक नहीं है, के पंजीकरण के लिए मानदण्ड पूरा करता है, इस आशय की नईं वचनबद्धता कि वह ऐसा मानदण्ड पूरा करता है, सहित सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा।
- सक्षम प्राधिकारी उद्योग के नाम से इसे एकल पंजीकरण संख्या देते हुए प्ररूप-II में पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

- (8) उद्योग द्वारा पंजीकरण के ब्यौरों में कोई परिवर्तन जैसे स्वत्वधारी या प्रबंधन निदेशक के नाम, पता, क्षमता, प्रयुक्त काष्ठ में स्रोत, किस्म, क्षमता वृद्धि में परिवर्तन, अपेक्षित फीस, जो ऐसे आवेदन के तीन मास के भीतर राज्य स्तरीय समिति द्वारा जांच / पड़ताल करने उपरान्त स्वीकार की जा सकती है, का भुगतान करने के बाद ऑनलाईन आवेदन द्वारा किया जा सकता है। तथापि, उद्योग के नाम और एकल पंजीकरण संख्या में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि उद्योग के नाम में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है, तो पुराना पंजीकरण रद्द किया जाऐगा और नये नाम से उद्योग के नये पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा।
- (9) इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य स्तरीय समिति, जैसा यह उचित समझे और दिशानिर्देशों / नियमों में दिए गए उपबन्धों के अनुसार नये पंजीकरण के अनुमोदन के लिए प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है और मैकनिजिम विनिर्दिष्ट कर सकती है।

काष्ठ आधारित उद्योग के लिए अनुज्ञप्ति।

- 9. (1) नियम 2 (1) (च) में वर्णित सभी प्राथमिक इकाईयां इन नियमों के अधीन आती हैं, को अनुज्ञप्ति जारी की जानी अपेक्षित होंगी।
- (2) कोई व्यक्ति, जो काष्ठ आधारित उद्योग के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का इच्छुक हो, राज्य स्तरीय समिति को सरकार द्वारा, समय—समय पर, यथा अधिसूचित फीस सहित प्ररूप—I में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन करेगा।
- (3) उप-नियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य स्तरीय समिति आवेदन को सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। सक्षम प्राधिकारी, राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी दिशा-निर्देशों के अध्यधीन ऐसी जांच करेगा, जो वह उचित समझे तथा स्वयं को सन्तुष्ट करने के बाद, अपनी टिप्पणियों या सिफारिशों के साथ आवेदन राज्य स्तरीय समिति को भेजेगा।
- (4) राज्य स्तरीय समिति, दिशानिर्देशों में यथा उल्लिखित राज्य में लकड़ी की उपलब्धता के आविधक निर्धारण के आधार पर, और सभी प्रासंगिक शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का अनुमोदन कर सकती है :

परन्तु राज्य स्तरीय समिति को आवेदन रद्द करने की शक्तियाँ होंगी, यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के बाद भी किसी भी समय पर आवेदन या समर्थित दस्तावेजों में कोई विसंगति ध्यान में आती है।

- (5) राज्य स्तरीय समिति की पूर्व अनुमित के बिना काष्ठ आधारित उद्योग के लिए किसी भी अनुज्ञप्ति का अनुमोदन नहीं किया जाएगा।
- (6) अनुज्ञप्तियों के अनुमोदन के प्रयोजन के लिए राज्य स्तरीय समिति, केवल उन प्राथमिक इकाईयों, जिनके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, के आवेदनों के लिए उपरोक्त यथा वर्णित राज्य में लकड़ी की उपलब्धता पर विचार करेगी और उत्तरदायी होगी।
- (7) इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य स्तरीय समिति, जैसा यह उचित समझे और दिशानिर्देशों / नियमों में दिए गए उपबन्धों के अनुसार नई अनुज्ञप्ति के अनुमोदन की प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है और मैकनिजिम विनिर्दिष्ट कर सकती है।

अनुज्ञप्ति या पंजीकरण प्रदान करना।

- 10. (1) राज्य स्तरीय समिति, इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन मांगेगी और इसे आवश्यक सत्यापन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। सक्षम प्राधिकारी से सिफारिशें प्राप्त करने के बाद, राज्य स्तरीय समिति, अनुज्ञप्ति या पंजीकरण, जैसा भी स्थिति हो, प्रदान करने के लिए सभी निबन्धन तथा शर्तें नियत करते हुए आवेदक को प्रस्ताव पत्र जारी करेगी।
- (2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपनियम (1) के अधीन प्रस्ताव—पत्र जारी किया गया है, ऐसी फीस सिहत और तीस दिन की अविध अथवा ऐसी अविध के भीतर ऐसे प्ररूप, जो राज्य स्तरीय सिमित द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, में स्वीकृति—पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि नियत अविध के भीतर अपेक्षित फीस सिहत स्वीकृति—पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो आवेदन रद्द किये जाने के लिए दायी होगा और प्रक्रिया फीस समयपहत हो जाएगी।
- (3) राज्य स्तरीय समिति, अपेक्षित फीस सहित स्वीकृति–पत्र की प्राप्ति के उपरान्त, सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप–II में अनुज्ञप्ति प्रदान करने का निर्देश देगी।
- (4) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे अनुज्ञप्ति या पंजीकरण प्रदान किया गया है, राज्य स्तरीय सिमिति द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित करेगा और ऐसे उद्योग की स्थापना के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा। सक्षम प्राधिकारी, सम्यक् परिश्रम संतोषजनक रूप से पूरा करने और जारी अनुज्ञप्ति या पंजीकरण के अनुसार मशीनरी सिहत इकाई की स्थापना से संतुष्ट हो जाने के उपरान्त, उसकी निर्धारित प्रपत्र में सूचना राज्य स्तरीय सिनित को देगा:

परन्तु यदि आवेदक नियत अवधि के भीतर उद्योग स्थापित करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञप्ति या पंजीकरण रद्द किए जाने के लिए दायी होगा।

- (5) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति या पंजीकरण प्रदान किया गया है, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) और केन्द्रीय तथा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरणों, जैसी भी स्थिति हो, की सभी अन्य ऐसी विधियों और विनियमों, जो समय—समय पर लागू हों, के अधीन यथा लागू आवश्यक अनुमतियां या अनुज्ञप्ति या पंजीकरण भी प्राप्त करेगा।
- (6) किसी व्यक्ति को प्रस्ताव—पत्र जारी करना अथवा अनुज्ञप्ति अथवा पंजीकरण प्रदान करना, विभिन्न अनुमतियां प्राप्त करने में छूट/रियायत पाने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा और विभिन्न विभागों/प्राधिकरणों से समाशोधन/ अनुमतियां प्राप्त करने से सम्बन्धित विभिन्न प्रक्रियाओं की निर्धारित अपेक्षाएं पूरी करना ऐसे व्यक्ति की जिम्मेवारी होगी।
- (7) सभी काष्ठ आधारित उद्योग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विहित सभी पर्यावरण और अन्य विनियमों का अनुपालन करेंगे, जो इन उद्योगों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29) और अन्य केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों के अधीन लागू हों ।
- 11. इन नियमों के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति या पंजीकरण, जारी करने अथवा नवीकरण, जैसी भी स्थिति हो, की तिथि से पांच वर्ष की अनधिक ऐसी अवधि के लिए वैध रहेगा ।

अनुज्ञप्ति या पंजीकरण की वैधता।

12. (1) कोई भी व्यक्ति, जिसे इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति या पंजीकरण प्रदान किया गया है वह ऑनलाईन पोर्टल पर सक्षम प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति या पंजीकरण की समाप्ति से पूर्व तीन मास की अविध के भीतर प्ररूप—III में अनुज्ञप्ति या पंजीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन कर सकता है।

अनुज्ञप्ति या पंजीकरण का नवीकरण ।

- (2) आवेदन प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी, ऐसी जांच करेगा, जो वह उचित समझे तथा स्वंय को संतुष्ट करने के उपरान्त कि ऐसा आवेदन, राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर, जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है, आवेदन को सत्यापन और टिप्पणियों सहित ऐसे आवेदन की प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य स्तरीय समिति को अग्रेषित करेगा ।
- (3) राज्य स्तरीय समिति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए सत्यापन और प्रस्तुत की गई टिप्पणियों के आधार पर तथा सभी प्रासंगिक शर्तें पूरी किए जाने के अध्यधीन, अनुज्ञप्ति या पंजीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन का अनुमोदन कर सकती है और उसे प्ररूप—IV में अनुज्ञप्ति या पंजीकरण प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को भेजेगी:

परन्तु राज्य स्तरीय समिति को आवेदन रद्द करने की शक्तियाँ होंगी, यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान या पंजीकरण प्रदान करने के बाद भी किसी भी समय पर आवेदन या समर्थित दस्तावेजों में कोई विसंगति ध्यान में आती है।

- (4) किसी भी काष्ठ आधारित उद्योग के लिए किसी अनुज्ञप्ति या पंजीकरण का नवीकरण, राज्य स्तरीय समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।
- (5) सक्षम प्राधिकारी, राज्य स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अनुज्ञप्ति या पंजीकरण का नवीकरण करेगा।
- 13. इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति या पंजीकरण, अनुज्ञप्ति या पंजीकरण का नवीकरण अथवा अंतरण चाहने वाला व्यक्ति, सरकार द्वारा, समय—समय पर, यथा अधिसूचित फीस का भुगतान करेगा।

फीस।

- 14. (1) कोई भी व्यक्ति, जिसे इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति या पंजीकरण प्रदान किया गया है, राज्य स्तरीय समिति को अनुज्ञप्ति या पंजीकरण के अंतरण हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन कर सकता है।
- (2) ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन प्राप्त होने पर राज्य स्तरीय समिति इसे सक्षम प्राधिकारी को अन्तरित करेगी। सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच करेगा, जो वह उचित समझे तथा स्वंय को संतुष्ट करने के उपरान्त कि ऐसा आवेदन, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय—समय पर, जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है, आवेदन को सत्यापन और टिप्पणियों तथा सुसंगत दस्तावेजों सहित ऐसे आवेदन की प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगा।
- (3) राज्य स्तरीय समिति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए सत्यापन और प्रस्तुत की गई टिप्पणियों के आधार पर तथा सभी प्रासंगिक शर्तें तथा प्रासंगिक दस्तावेज पूरे किए जाने के अध्यधीन, अनुज्ञप्ति या पंजीकरण के अंतरण हेतु आवेदन का अनुमोदन कर सकती है और उसे अनुज्ञप्ति या पंजीकरण का अंतरण प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को भेजेगी:

बिक्री अथवा उतराधिकार पर अनुज्ञप्ति या पंजीकरण का अंतरण। परन्तु राज्य स्तरीय समिति को आवेदन रद्द करने की शक्तियां होंगी, यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान या पंजीकरण प्रदान करने के बाद भी किसी भी समय पर आवेदन या समर्थित दस्तावेजों में कोई विसंगति ध्यान में आती है:

परन्तु यह और कि राज्य स्तरीय समिति निम्नलिखित परिस्थितियों के सिवाए ऐसी अनुज्ञप्ति या पंजीकरण के अंतरण हेतु अनुमोदन प्रदान नहीं करेगी:—

- (क) ऐसी अनुज्ञप्ति या पंजीकरण जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद अनुज्ञप्ति या पंजीकरण के अंतरण के लिए आवेदन किया गया है;
- (ख) विरासत तथा उत्तराधिकार या व्यवसाय के विभाजन के आधारों पद ऐसी अनुज्ञप्ति या पंजीकरण जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व अनुज्ञप्ति या पंजीकरण के अंतरण के लिए आवेदन किया गया है:
- (ग) ऐसी अनुज्ञप्ति या पंजीकरण जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व अनुज्ञप्ति या पंजीकरण के अंतरण के लिए आवेदन किया गया है और अनुज्ञप्तिधारी या पंजीकरण करवाने वाला व्यक्ति स्थाई अन्तरण के बदले में सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित ऐसी राशि का भुगतान करने का इच्छुक है।
- (4) विक्रय / उत्तराधिकार इत्यादि पर अनुज्ञप्ति का अंतरण केवल राज्य स्तरीय समिति के पूर्व अनुमोदन के साथ किया जाएगा।
- (5) सक्षम प्राधिकारी राज्य स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद और इस संबंध में राज्य स्तरीय समिति द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी या इस पंजीकरण करवाने वाले व्यक्ति के पक्ष में अनुज्ञप्ति या पंजीकरण का अंतरण करेगा।

काष्ठ आधारित उद्योग को पुनः अवस्थित करना ।

- 15. (1) किसी काष्ठ आधारित उद्योग को पुनः अवस्थित करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, राज्य स्तरीय समिति को आवेदन करेगा, जो इसकी जांच कर सकती है, अथवा यदि यह उचित समझे तो काष्ठ आधारित उद्योगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुनः अवस्थित करने की अनुमति दे सकती है।
- (2) किन्हीं भी काष्ठ आधारित उद्योगों को पुनः अवस्थित हेतु इन नियमों के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र में अनुमत नहीं किया जाएगा।
- (3) पुनः अवस्थित किये जाने के पूर्व उद्योग की प्रयुक्त मशीनों की कुल संख्या और वार्षिक क्षमता नहीं बढाई जाएगी।
 - (4) मशीनों की किरम एक किरम से किसी अन्य किरम में परिवर्तित नहीं की जाएगी।
- (5) काष्ठ आधारित उद्योग मशीनरी और परिसर, राज्य स्तरीय समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी व्यक्ति या फर्म को पट्टे पर नहीं दिए जाएंगे।

अपील।

- 16. (1) इन नियमों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश पारित करने के साठ दिन के अन्दर—अन्दर राज्य स्तरीय समिति के सम्मुख अपील कर सकता है।
- (2) राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति साठ दिन के भीतर उपयुक्त राहत प्राप्त करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन चण्डीगढ़ स्थित कार्यालय के सम्मुख अपील दायर कर सकता है।
- (3) प्रादेशिक कार्यालय का मुखिया अपील दायर करने के साठ दिन के भीतर उपयुक्त आदेश पारित करेगा।
- (4) यदि कोई व्यक्ति अपील में इस प्रकार पारित आदेश से किसी कारण से व्यथित है, तो वह संबंधित राज्य/संघ, राज्य क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले माननीय उच्च न्यायालय में समुचित याचिका/आवेदन/अपील दायर कर सकता है।

अभिलेखों का रख–रखाव।

- **17.** (1) प्रत्येक काष्ठ आधारित उद्योग, प्ररूप-v(a) तथा प्ररूप-v(a) के अनुसार इमारती लकड़ी की प्राप्ति और निपटान का उचित अभिलेख रखेगा।
- (2) काष्ठ आधारित उद्योग, जब कभी सक्षम प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, इमारती लकड़ी की समीक्षा और जांच हेतु अभिलेख प्रस्तुत करेगा।

- (3) यदि उद्योग संस्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं करता है, तो राज्य स्तरीय सिमति, अनुज्ञप्ति क्षमता में परिवर्तन और यदि उद्योग, लगातार दो वर्ष की अविध, जो तीन वर्ष तक विस्तारणीय है, के लिए सर्वोत्तम क्षमता का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो यहाँ तक कि अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत सिहत समुचित उपचारी कार्यवाही कर सकती है तथापि, राज्य स्तरीय सिमित द्वारा दो वर्ष अविध को आगे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यदि अनुज्ञप्ति या पंजीकरण धारक पर्याप्त औचित्य उपलब्ध करवाने में असमर्थ है।
- 18. राज्य स्तरीय समिति अथवा सक्षम प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी भी समय पर, काष्ठ आधारित उद्योग के परिसरों में अनुज्ञप्ति की वास्तविकता अभिनिश्चित करने अथवा इमारती लकड़ी की जांच करने हेत् प्रवेश कर सकता है।

परिसर की तलाशी लेने की शक्ति।

19. इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य स्तरीय समिति अथवा सक्षम प्राधिकारी, जहां उसके पास यह विश्वास करने के कारण हों कि कोई काष्ठ आधारित उद्योग का परिचालन इन नियमों / दिशानिर्देशों के उपबंधों अथवा अनुज्ञप्ति या पंजीकरण की शर्तों की उल्लंघना में हो रहा है अथवा वन संरक्षण के हित के प्रतिकूल गतिविधियों में लगा हुआ है, तो वह सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त, इन नियमों के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति या पंजीकरण को रद्द कर सकता है, निलंबित कर सकता है अथवा का प्रतिसंहरण कर सकता है।

अनुज्ञप्ति / पंजीकरण का प्रतिसंहरण।

20. इन नियमों की कोई उल्लंघना, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 77 के अधीन विहित शास्ति/दण्ड के लिए दायी होगी।

ग निरसन और

व्यावृति ।

शास्ति ।

21. हरियाणा काष्ठ आधारित उद्योग वन विनियमन नियम, 2005, हरियाणा सरकार, वन विभाग, अधिसूचना संख्या एस.ओ. 34 / एच.एफ.आर.डब्ल्यू.बी.आई.आर. 2005 / आर. 6 / 2006, दिनांक 10 मार्च, 2006 तथा हरियाणा वन प्रबन्धन लकड़ी आधारित उद्योग परिक्रामी कोष निधि नियम, 2009, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं:

परन्तू ऐसा निरसन-

- (क) ऐसी किसी बात का पुनर्विलोकन नहीं करेगा, जो ऐसे निरसन, के प्रभावी होने के समय पर लागू अथवा विद्यमान नहीं थी; या
- (ख) इस प्रकार निरसित नियमों के पूर्व परिचालन या उसके अधीन विधिवत रूप से की गई अथवा वहन की गई किसी बात को प्रभावित नहीं करेगा; या
- (ग) इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा; या
- (घ) इस प्रकार निरसित नियमों के विरूद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड को प्रभावित नहीं करेगा; या
- (ड़) यथा उपरोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के संबंध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को प्रभावित नहीं करेगाः

परन्तु ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार, संस्थित, जारी या लागू किया जा सकता है, तथा ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है मानो हरियाणा काष्ठ आधारित उद्योग वन विनियमन नियम, 2005, अधिसूचित नहीं किए गए थे।

प्ररूप—ा

{देखिए नियम 8 तथा 9}

काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित और संचालित करने के लिए अनुज्ञप्ति / पंजीकरण हेत् आवेदन

_		7.
सर	ग्रा	म

सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग। फोटो

विषयः काष्ठ आधारित उद्योग / इमारती लकड़ी डिपो स्थापित और संचालित करने हेतु नई अनुज्ञप्ति / पंजीकरण के लिए आवेदन।

1. आवेदनकर्ता

(i) नाम / फर्म

(ii) आवेदनकर्ता का किस्म :

(iii) स्वामित्व की प्रकृति :

(iv) स्वामी का नाम :

(v) पिता का नाम :

(vi) जन्म तिथि :

(vii) स्थाई पता :

(viii) वर्तमान पता :

(ix) दूरभाष / मोबाईल नम्बर :

(x) ई-मेल :

(xi) पैन / जी.एस.टी.संख्या :

(xii) आधार संख्या :

2. प्रस्तावित इकाई

(i) नाम :

(ii) अवस्थिति / पता :

(iii) वन रेंज / वन मण्डल :

(iv) जिला :

(v) निकटतम आरक्षित वन से दूरी :

3. स्थापित की जाने वाली इकाई की किस्म और प्रवर्ग (टिक करें, जो भी लागू हों)

(क) आरा मशीन (ख) विनियर मिल (ग) प्लाईवुड इकाई (घ) स्टेंडअलोन चिराई मशीन (इ) स्टेंडअलोन स्लाईसर (च) स्टेंडअलोन प्रैस (छ) माध्यम घनत्व फाइबर / उच्च घनत्व फाइबर (ज) पार्टीकल बोर्ड / ब्लॉक बोर्ड / कागज लुगदी / रेऑन (झ) माध्यम घनत्व फाइबर / उच्च घनत्व फाइबर और पार्टीकल बोर्ड / ब्लॉक बोर्ड (ञ) कत्था इकाईयां (ट) काठ कोयला इकाईयां (ठ) इमारती लकड़ी डिपो (ड) अन्य

उपयोग किये जाने वाला कच्चा माल (टिक करें, जो भी लागू हों)

- (क) विधिक स्रोत से लकडी (ख) अनुज्ञप्ति प्राप्त आरा मशीनों से चीरी हुई इमारती लकडी / सामग्री
- 5. काष्ठ आधारित इकाईयों और डिपो में भंडार किए जाने वाले वन उत्पाद के विवरण

6. स्थापित की जाने वाली मशीनरी का विवरण (आरा, पिल्लर, चिप्पर आदिं)

क्रम संख्या	मशीनरी का प्रकार	संख्या	अश्वशक्ति	घनमीटर में स्थापित	त क्षमता (वार्षिकं)
	तथा आकार		क्षमता	गोल लकड़ी	चीरी लकड़ी
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

	6.									
7.	भूमि	का विवरण	जिस पर इकाई स्था	पित की जार्न	ो है:					
	(क) क्षे (घ) ग	नेत्रफल	(ख) : (ड़) कस्बा	अवस्थिति		(ग) आवंटन / प् जिला	नॉट संख	या	
			(ङ्) कस्बा ात्र का नाम	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		_ (4)	ાળાભા			
8.	अपलो	ड किए जा	ने वाले दस्तावेज (वि	क करें, जो	भी लागू हो	Ē)				
	(ক)	पता प्रमाप	ग							
	(ख)	आवेदक व	का फोटो							
	(ग)	पहचान प	ात्र (पैन कार्ड, चालन	अनुज्ञप्ति, म	तदाता पहर	ग्रान पत्रं)			
	(ঘ)	फर्म / सोर	साईटी / साझेदारी / व	^{हंपनी} का पंर्ज	ीकरण प्रमा	ण–पत्र				
	(ঙ়)	इकाई के	मार्ग सहित अवस्थान	न मानचित्र						
	(च)	भू—स्वामि	त्व / भू—आवंटन सम्ब	न्धी दस्तावेज						
घोषणा	:									
(1)	मैं,					अवस्थित				का
स्वामी / प्रकट	⁄ प्रबंधव किए च	क निदेशक नाने से छि	घोषित करता हूं कि पाई नहीं गई है। य	उपर्युक्त विष दि बाद में ब	वरण मेरी उ कोई झट प	जानकार्र गाया ज	ो के अनुसार Iता है, तो मे	सत्य है रा अनुज्ञ	तथा कोई भी प्ति के लिए	ी सूचना आवेदन
		दिया जाए		-	, 6		•	3.	•	

(2) मैं, इसके द्वारा, वचन देता हूं कि मैं काष्ठ आधारित उद्योग इकाई की स्थापना तथा प्रचालन के संगत सभी विधियों / नियमों / निर्णयों और काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमनं) दिशानिर्देश, 2016 (आवेदनकर्ता इस खंड की जांच करें) के अनुसार राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों सहित राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, हरियाणा, अन्य सरकारी प्राधिकरणों तथा न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों का अनुपालन करूंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर/आधार ओटीपी सत्यापन

प्ररूप—II

[देखिए नियम 8 तथा 10]

काष्ठ आधारित उद्योगों को स्थापित और संचालित करने के लिए अनुज्ञप्ति / पंजीकरण के नवीकरण प्रदान करने हेतु प्ररूप।

	अनुज्ञप्ति / पंजीकरण संख्या			_		फोटो
	दिनांक					
कर्म _ में विवरण अनुज्ञाः	हरियाणा काष्ठ आधारित उद्योग (स्थ (बड़े ३ (इसमें, इ तथा प्ररूप के पिछली ओर दी गई प्ते/पंजीकरण प्रदान किया जाता है।	ग्रापना और अक्षरों में) सके बाद ई शर्तों के	विनियमन) पुत्र / पुत्री "अनुज्ञप्तिधार अध्यधीन	नियम, 2022 के व निवासी रक" के रूप में नि काष्ठ आधारित ख	उपबंधों के अधीन १ ।र्दिष्ट किया गया है इद्योग की स्थापना	 भी / श्रीमती / कुमाः जित है) को निम्नलिखि तथा प्रचालन हे
1	इकाई का नाम					
2	इकाई की श्रेणी					
3	स्वामित्व की प्रकृति					
4	अक्षांश / देशांतर के साथ इकाई की अवस्थिति					
5	इकाई का डाक पता	प्लॉट संख	<u>ब्या</u>			
		गांव				
		जिला				
		पिनकोड़	संख्या			
6	निकटतम आरक्षित वन क्षेत्र से दूरी					
7	मशीनरी का विवरण तथा मंजूर शक्ति	कम संख्या	मशीनरी मा	ाप सहित		ामता त्रशक्तिं)
		1.				-
		2.			<u></u>	
		3.				
8	इकाई की क्षमता				र्भ गोल लकड़ी घन म र्भ चिरी लकड़ी घन म	
9	कच्चे माल का स्रोत				· .	
10	अनुज्ञप्ति / पंजीकरण की जमा की गई फीस की राशि	राशि रसीद संर	ख्या		दिनांक	
11	नवीनीकृत अनुज्ञप्ति / पंजीकरण की वैधता	से			तव	চ

दिनांकः स्थानः (जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर नाम, मोहर सहित पदनाम) शर्तैः

- 1. अनुज्ञप्ति _____ से पांच (5) वर्ष की अवधि तक वैध होगी, तथा नियमों के अधीन यथा निर्देशानुसार इसका नवीकरण किया जा सकता है।
- 2. अनुज्ञप्तिधारी, मण्डल वन अधिकारी की लिखित में पूर्व अनुमति लिए बिना, काष्ठ—आधारित उद्योग की अवस्थिति में बदलाव नहीं करेगा।
- 3. काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई किसी भी प्राधिकृत वन अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण के अध्यधीन होगी।
- 4. काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई इन नियमों के अधीन यथा अपेक्षित प्ररूप में रजिस्टर, दस्तावेजों और लेखों को रखेगी और रख–रखाव करेगी।
- 5. काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई, जिसे किसी विशेष श्रेणी के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है, को नई अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना किसी अन्य प्रवर्ग में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- 6. राज्य स्तरीय सिमिति के पूर्व अनुमोदन के बिना काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई की अनुज्ञप्ति में उल्लेखित क्षमता नहीं बढ़ाई जाएगी अथवा इससे अन्यथा कोई नई मशीनरी स्थापित नहीं की जाएगी।
- अनुज्ञप्ति में उल्लिखित काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई की अवस्थिति या भवन को राज्य स्तरीय सिमिति के पूर्व अनुमोदन के बिना बदला नहीं जाएगा।
- अनुज्ञप्ति में उल्लिखित काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई का नाम राज्य स्तरीय समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना बदला नहीं जाएगा।
- 9. काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई की अनुज्ञप्ति या स्वामित्व को राज्य स्तरीय समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।
- 10. भण्डारण के लिए प्रांगण सहित काष्ठ आधारित उद्योगों के परिसर उपयुक्त दरवाजों के साथ लगी बाड़ से परिबद्ध होंगे।
- 11. प्रत्येक गोल इमारती लकड़ी, चिरी हुई लकड़ी तथा अपशिष्ट लकड़ी का पर्यवेक्षी वन स्टाफ के स्टॉक लेने और निरीक्षण संकट बनाने के लिए उचित रूप से ढ़ेर लगाया जाएगा।
- 12. संबंधित विभाग / एजेन्सियों / प्राधिकरणों से सभी प्रकार की आवश्यक वैधानिक अनुमति / समाशोधन प्राप्त करना, अनुज्ञप्तिधारी का निजी दायित्व होगा।
- नोट.— यदि इकाई द्वारा ऐसी कोई मशीन स्थापित / संचालित की गई पाई जाती है, जिसके लिए इकाई को अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की गई है, तो ऐसी इकाई के संबंध में राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, हरियााणा द्वारा प्रदान की गई अनुमित को वापिस लिया गया / रदद किया हुआ माना जाएगा।

दिनांक:	(जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
स्थानः	नाम, मोहर सहित पदनाम)

प्ररूप–III

[देखिए नियम 12]

काष्ठ आधारित उद्योगों की अनुज्ञप्ति / पंजीकरण के आवेदन हेतु प्ररूप

सवा म				
स	दस्य सचि	व,		फोटो
रा	ज्य स्तरीय	र समिति,		4/101
क	गष्ट आधार्ग	रेत उद्योग।		
विषय:– का	ष्ट आधारि	रेत उद्योगों / इमारती लकड़ी डिपो की अनुज्ञपि	त / पंजीकरण के नवीनीकरण हेतू	आवेदन।
मैं -: -	,	इसके द्वारा, घोषणा दिनांक के	करता हूं कि	द्वारा जारी अनुज्ञप्ति
संख्या में अनमोटि	 ਰ श्रमता	।दनाक क अनुसार कार्यरत है तथा अनुमोदित कच्चा	है अधीन काष्ठ आधारित उद्योग इ माल उपयोग कर रही है तथा	{काइ उसा अवास्थात भवन अनन्तरित के अनसार उसी
स्वामित्वाधीः	न तथा	इसके संचालन के दौरान अनुज्ञप्ति की	किसी भी शर्तों का उल्लंघ	न नहीं किया गया है।
अनुज्ञप्ति / ग	पंजीकरण	की वैधता दिनांक	तक है। काष्ठ आधारित उद्योगों व	_{गि अनुज्ञप्ति ∕ पंजीकरण} का
विवरण निम्	•			
1.	आवेदः			
	(i)	नाम / फर्म	:	
	(ii)	आवेदनकर्ता की किस्म	:	
	(iii)	स्वामित्व की प्रकृति	;	
	(iv)	स्वामी का नाम	:	
	(v)	पिता का नाम	:	
	(vi)	जन्म तिथि	:	
	(vii)	स्थाई पता	:	
	(viii)	वर्तमान पता	;	
	(ix)	दूरभाष / मोबाईल नम्बर	:	
	(x)	ई—मेल	:	
	(xi)	पैन / जी.एस.टी.संख्या	:	
	(xii)	आधार संख्या	:	
2.	मौजूद	। इकाई का विवरण		
	(i)	अनुज्ञप्ति / पंजीकरण संख्या	:	
		जारी करने की तिथि	;	
	(iii)	वैधता	;	
	(iv)	मौजूदा अवस्थिति	:	
	(v)	अन्तरण किया गया है या नहीं	:	
	(vi)	यदि हां, (तो मृत्यु के मामले, स्वामित्व के	:	
	(*1)	अन्तरण इत्यादि और ऐसे अन्तरण की	•	
		तिथि स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करें)।		
	(vii)	अनुज्ञप्ति / पंजीकरण जारी करने वाला प्राधि	कारी :	

3. इकाई की किस्म और श्रेणी (टिक करें, जो भी लागू हों)।

(क) चिराई मिल (ख) विनियर मिल (ग) प्लाईवुड इकाई (घ) स्टेंडअलोन चिराई मशीन (इ) स्टेंडअलोन स्लाईसर (च) स्टेंडअलोन प्रेस (छ) माध्यम घनत्व फाइबर / उच्च घनत्व फाइबर (ज) पार्टीकल बोर्ड / ब्लॉक बोर्ड / कागज लुगदी / रेऑन (झ) माध्यम घनत्व फाइबर / उच्च घनत्व फाइबर और पार्टीकल बोर्ड / ब्लॉक बोर्ड (ञ) कत्था इकाईयां (ट) काठ कोयला इकाईयां (ठ) लकड़ी डिपो (ड) अन्य

मौजूदा मशीनरी का विवरण (आरा, पिल्लर, चिप्पर आदि)

		1	1	1	1
क्रम संख्या	विशिष्ठता / आकार सहित मशीनों का प्रकार	संख्या	अश्वशक्ति में क्षमता	घनमीटर में स्थापि	मेत क्षमता (वार्षिकं)
1.				गोल लकड़ी	चीरी लकड़ी
2.					
3.					
4.		_			
5.					
6.					

4. अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज (टिक करें, जो भी लागू हों)

- (क) पता का प्रमाण।
- (ख) आवेदक का फोटो।
- (ग) पहचान पत्र (पैन कार्ड, आधार कार्ड चालन अनुज्ञप्ति या मतदाता पहचान पत्रं)।
- (घ) फर्म / सोसाईटी / भागी या कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
- (ड) औद्योगिक विभाग में इकाई का पंजीकरण प्रमाण-पत्र ।
- (च) पहुंच दर्शाते हुए इकाई का अवस्थिति मानचित्र।
- (छ) भू-स्वामित्व / भू-आवंटन दर्शाते हुए दस्तावेज।
- (जं) मौजूदा अनुज्ञप्ति की प्रति।
- (झ) अन्तरण प्रमाण-पत्र की प्रति (यदि लागू हो)।

मैं, इसके द्वारा, हरियाणा काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) नियम, 2022 में उपबन्धित के अनुसार आगामी अवधि के लिए अनुज्ञप्ति / पंजीकरण के नवीनीकरण हेतू आवेदन करता हूं।

दिनांकः		
स्थानः	(अनुज्ञप्ति धार	क के हस्ताक्षर)

प्ररूप–IV {देखिए नियम 12}

फो	टो
77	

		•		फोटो
	काष्ट आधारित उद्योग	के लिए अनुज्ञप्ति / पं	् जीकरण के नवीकरण हेतु प्ररू	ч
F	१म्नलिखित विवरण तथा प्ररूप के प	•	· ·	
और वि	नियमन) नियम, 2022 के उप	बंधों के अधीन	अनुज्ञप्ति / पंजीकरण संख्या	
दिनांक _	का नवीनीकरप	ग, इसके द्वारा, श्री 🖊	श्रीमती / कुमारी / फर्म	के पत्र में
किया जा	ता है:			
1	अनुज्ञप्तिधारी / पंजीकृत व्यक्ति का नाम			
2	पिता का नाम			
3	अनुज्ञप्तिधारी / पंजीकृत व्यक्ति का पता			
4	स्वामित्व की प्रकृति			
5	इकाई का नाम			
6	इकाई की श्रेणी			
7	इकाई का डाक पता	प्लॉट संख्या		
		गांव		
		जिला		
		पिनकोड़ संख्या		
8	मशीनरी का विवरण तथा मंजूर शक्ति	क्रम संख्या	मशीनरी और उसका आकार	क्षमता (अश्वशक्ति)
		1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
9	इकाई की क्षमता		प्रति वर्ष गोल लकड़ी घन	मीटर
			प्रति वर्ष चिरी लकड़ी घन	मीटर
10	कच्चे माल का स्रोत			
11	भुगतान की गई फीस की राशि	राशि		
		रसीद संख्या	दिनांक	

दिन	ांक:
स्था	न:

वैधता

12

नवीनीकृत अनुज्ञप्ति / पंजीकरण की

(जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर नाम, मोहर सहित पदनाम)

तक

नोट.— प्ररूप—II में अनुज्ञप्ति / पंजीकरण प्रदान करने के लिए समरूप शर्तें लागू होंगी और इस नवीनीकृत अनुज्ञप्ति / पंजीकरण के पिछले पृष्ठ पर मुद्रित की जाएंगी।

से

प्ररूप-V(क)

[देखिए नियम 17(1)]

काष्ठ आधारित उद्योग और डिपो में वन उत्पाद की प्राप्ति दर्शाने वाले रजिस्टर का प्ररूप

प्राप्ति की तिथि		प्रजाति			
	स्रोत	अभिवहन अनुमति संख्या	तिथि	द्वारा जारी	
(1)	(2)	(2ख)	(2ग)	(2घ)	(3)

वन उत्पाद की मात्रा (खम्भों, व में श्रेणी / संख्या तथा जलाऊ	बांस,प्लाईवुड आदि के मामले लकड़ी के मामले में टन)	आरा का आकार अथवा प्राप्त परिष्कृत उत्पादों की मात्रा	टिप्पणियां
संख्या	घन मीटर	संख्या / घन मीटर	
4(क)	4(ख)	(5)	(6)

प्ररूप–∨(ख)

[देखिए नियम 17(1)]

काष्ठ आधारित उद्योग और डिपो में वन उत्पाद का निपटान दर्शाने वाले रजिस्टर का प्ररूप

निपटान की तिथि	प्रजाति	निपटाए गए उत्पाद का ब्यौरा				
		संख्या	घन मीटर	परमिट संख्या		
(1)	(2)	(3क)	(3ख)	(3ग)		

किसको निपटाया गया	टिपणियां
(गतव्य स्थान और पता)	(रोकड़ बिल संख्या आदि)
(4)	(4क)

ए. के. सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वन तथा वन्य प्राणी विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

FOREST AND WILDLIFE DEPARTMENT

Notification

The 20th April, 2022

No. S.O. 19/C.A. 16/1927/Ss 41,42,51 and 76/2022.— WHEREAS, Haryana Government, Forest Department made the Haryana Forest Regulation of Wood-based Industries Rules, 2005 for regulation of Wood-based Industries in the State of Haryana and the same were published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 31st October, 2005;

AND WHEREAS, in compliance of the directions contained in order, dated the 5th October, 2015 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995, in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Versus Union of India and others, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India made the Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016 and the same were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 11th November, 2016;

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India has amended the said guidelines and the same were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 11th September, 2017;

AND WHEREAS, the Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016 require the States to bring their existing rules in conformity to these guidelines as amended from time to time;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 41, sections 42, 51 and 76 of the Indian Forest Act, 1927 (Central Act 16 of 1927), the Governor of Haryana hereby makes the following rules for the establishment and regulation of Wood Based Industries in the State of Haryana, namely:-

Short title and commencement.

- 1. (1) These rules may be called the Haryana Wood Based Industries (Establishment and Regulation) Rules, 2022.
 - (2) They shall be applicable to the whole of the State of Haryana.
- (3) They shall deem to have come into effect from the date of notification of the Wood Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016.

Definitions.

- 2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Indian Forest Act, 1927 (Central Act 16 of 1927);
 - (b) "competent authority" means Deputy Conservator of Forest or Divisional Forest Officer holding the charge of Territorial Forest Division;
 - (c) "forest" means any forest area notified under the provisions of Indian Forest Act, 1927 (Central Act 16 of 1927) or other areas categorized as forests by the Hon'ble Supreme Court of India;
 - (d) "Form" means form appended to these rules;
 - (e) "license" means a license granted under these rules;
 - (f) "Primary Units" means units which use unprocessed wood such as saw mills, peelers, chipping units (having drum chipper which can process round logs) etc. or any other form such as Sandal, Katha Wood and Charcoal. Those wood based industrial units which operate with a band saw or re-saw or a round saw or circular saw of more than sixty centimetre diameter using round logs of species of domestic origin other than the ones declared as agroforestry species or notified as agricultural produce and/or exempted from the regime of felling regulations;
 - (g) "Protected Area" shall have the same meaning as assigned to it under the Wildlife (Protection) Act, 1972 (Central Act 53 of 1972);
 - (h) "registration" means a registration granted under these rules;
 - (i) "round log" means piece of wood in its natural form, having mid girth of thirty centimetre or more under bark and shall include such round log even after its bark has been removed or its surface has been dressed, manually or by using a band saw or any other machine or equipment to make its cross section square or near to square for the purpose of ease in its transportation or storage;

- (j) "Saw Mill" means plants and machinery in a fixed structure or enclosure, for conversion of round logs into sawn timber;
- (k) "Sawn Timber" means beams, scantling, planks, battens and such other product obtained from sawing of a round log;
- (l) "Schedule" means Schedule appended to these rules;
- (m) "Secondary Units" means those wood based industrial units having machinery which take the wood from Primary Units for further processing such as standalone press without band saw and peeling machine, standalone slicer without peeling machine, units producing particle boards, Medium Density Fibre, Particle Board, Block Board, Paper Pulp, Rayon, Plywood pasting units without peeling;
- (n) "State Government" means the Government of Haryana.
- (o) "State Level Committee" means a committee constituted by the State Government under rule 3;
- (p) "Territorial Forest Division" means concerned territorial forest division of the State of Haryana;
- (q) "Wood Based Industry" means any industry which processes wood as its raw material (saw mills/veneer/plywood or any other form such as sandal, katha wood etc.).
- (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings respectively assigned to them in the Indian Forest Act, 1927 (Central Act 16 of 1927).
- **3.** (1) The State Government shall constitute a State Level Committee consisting of the following permanent members, namely:-

Constitution of State Level Committee.

1	Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force).	Chairperson
2	Principal Chief Conservator of Forests-cum- Chief Wildlife Warden.	Member
3	A representative of the Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.	Member
4	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Forestry).	Member Secretary
5	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Development), Haryana.	Member
6	Chief Conservator of Forests (Hqrs.) Haryana.	Member
7	Representative of Haryana Forest Development Corporation, not below the rank of Chief General Manager.	Member
8	Director, Industries and Commerce Department, Haryana or his representative.	Member

- (2) The State Level Committee may co-opt any number of other officers working in the Forest Department and also officers from the Agriculture and Farmers Welfare Department, Haryana and Revenue and Disaster Management Department, Haryana.
- (3) The State Level Committee shall invite one representative to be nominated by all the Saw Mill Associations, as a special invitee to each and every meeting of the State Level Committee.
 - (4) The State Level Committee shall meet at least once in three months.
- (5) The quorum of the meeting shall be at least fifty percent of the permanent members including Chairman.

Powers and functions of State Level Committee.

- **4.** The State Level Committee shall,—
 - (i) assess the availability of timber for Wood Based Industries every five years;
 - (ii) assess quantity of different raw material requirement for Wood Based Industry which may be sustainably harvested from trees outside forest areas in the State;
 - (iii) assess annual requirement of timber and other forest produce in the domestic markets in the State;
 - (iv) maintain a database of timber and other raw materials utilized by each Wood Based Industry permitted to establish and operate in the State during each financial year;
 - (v) approve appropriate locations for setting up of Wood Based Industry;
 - (vi) approve the name of Wood Based Industry which may be considered for grant of fresh license or enhancement of the existing licensed capacity in case the State Level Committee is satisfied that timber is available legally for the said new Wood Based Industry (such as trees outside forest, forests etc.);
 - (vii) ensure that the amount lying with the Forest Department as Corpus Fund (recovered from Wood Based Industry) shall be utilized for the cause of forestry and afforestation only.
 - (viii) grant of fresh registration certificate/license or enhancement of the existing licensed capacity/transfer of units/change of ownership or any other issue pertaining to license/registration, in case the State Level Committee is satisfied that wood is available legally for the said Wood Based Industries (such as Trees outside forest, Forests, etc.);
 - (ix) recommend to the State Government the various fee for grant of license, registration and green fee from time to time;
 - (x) examine and make appropriate recommendation or any other matter referred by the State Government to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

Estimated annual consumption of timber.

5. For the purpose of assessing the timber requirement of the Saw Mills, the annual requirement of round log for Saw Mills of different capacities may be fixed by the State Level Committee based on the criteria approved by the Central Empowered Committee of the Hon'ble Supreme Court of India in the year 2007.

Restriction on establishment of Wood Based Industry.

- **6.** (1) No person shall establish, expand installed capacity or operate any Wood Based Industry unless the same is registered and a license or registration is obtained under these rules.
- (2) No license or registration shall be granted to the industry situated within three kilometres of aerial distance from boundary of nearest forests or protected areas, excluding roadside or railway side/canal side strip Protected Forest:

Provided that a Wood Based Industry may be established in an Industrial Estate or a Municipal area, irrespective of the aerial distance from the boundary of nearest reserved forest or protected forest.

(3) No Wood Based Industry shall be granted license or registration, if it is located within the notified distance delineated for Eco Sensitive Zones, for each of the protected area, and as specified in the respective notification on Eco Sensitive Zones for each of such protected areas of the State:

Provided that nothing contained in these rules shall apply to the ordinary operations of domestic carpentry, furniture making units, wooden toy and handicraft making units, packaging making units and firewood depots, which do not use or have the facility for sawing, converting, cutting and processing round timber.

Exemption of License.

- 7. The following Wood Based Industries not using round logs of domestic origin or operating without a band saw or re-saw or circular saw up to thirty centimeter diameter shall not require license, namely:—
 - (a) sawn timber, cane, bamboo, reed, plywood, veneers or imported wood procured from legitimate sources;

- (b) black board, medium density fibre board or similar wood based products procured from legitimate sources;
- (c) round log/timber from species declared as agroforestry/agricultural crops or exempted from the purview of section 4 of the Punjab Land Preservation Act, 1900 (Punjab Act 2 of 1900):

Provided that the State Level Committee may allow installation of circular saw of diameter up to sixty centimeter in such industries which have specialized requirement.

8. (1) Notwithstanding anything contained in rule 7, all the Wood Based Industries shall be registered with the State Level Committee and shall be regulated as per the orders issued by the State Government from time to time:

Registration of Wood Based Industry.

- Provided that such Wood Based Industries submit an undertaking to the effect that they shall utilize round log or timber only obtained from species declared as agroforestry/agricultural crops and/or exempted from the purview of the felling and transit regulations in the State and procured from legitimate sources.
- (2) Any person desiring registration of Wood Based Industry shall make an online application to the State Level Committee for obtaining a license or registration in Form-I along with such fee, as specified in the Schedule.
- (3) On receipt of an application under sub-rule (2), the State Level Committee shall forward it to the competent authority. The competent authority shall make such inquiry as he deems fit and after satisfying himself subject to the guidelines issued by the State Government or Central Government from time to time and submit the application with his comments or recommendation to the State Level Committee.
- (4) The State Level Committee, subject to the fulfilment of all relevant conditions, may approve the application:

Provided that the State Level Committee shall have the powers to reject the application, if any, discrepancy is noticed in the application and/or the supporting documents at any point of time during application process or even after grant of registration.

- (5) No registration to a Wood Based Industry shall be approved without obtaining prior permission of the State Level Committee.
- (6) Existing Wood Based Industries which have been granted license prior to the notification of these rules and qualify the criteria for registration of units not requiring license shall make an application to the competent authority along with a fresh undertaking to the effect that it fulfil such criteria.
- (7) The competent authority shall issue a registration certificate, in the name of the industry assigning it a unique registration number, in Form II.
- (8) Any change in the details of registration like the change of name of proprietor or managing director, address, capacity, source of wood, species used, increase in capacity shall be made by the industry by applying online after paying requisite fees which may be accepted by the State Level Committee within three months of such application after scrutiny/verification. However, the name of the industries and unique registration number shall not be changed. In case, the name of industry requires to be changed, then the old registration shall be cancelled and a fresh registration of the newly named industry shall be applied for.
- (9) Notwithstanding anything contained in these rules, the State Level Committee may determine and specify the procedure and mechanism for approval of new registrations, as it may deem fit and in accordance with the provisions contained in the guidelines/rules.
- **9.** (1) All Primary Units mentioned in rule 2 (1) (f) are required to be licensed under these rules.

License to Wood Based Industry.

(2) Any person desiring to obtain license for Wood Based Industry shall make an application online portal to the State Level Committee for obtaining a license in Form-I along with such fee, as notified by the government from time to time.

- (3) On receipt of an application under sub rule (2), the State Level Committee shall forward it to the competent authority. The competent authority shall make such inquiry as he deems fit and after satisfying himself subject to the guideline issued by the State Government or Central Government from time to time and submit the application with his comments and recommendation to the State Level Committee.
- (4) The State Level Committee, based on the periodic assessment of wood availability in the State as stipulated in the guidelines, and subject to the fulfilment of all relevant conditions, may approve the application for license:

Provided further that the State Level Committee shall have the powered to reject the application, if any, discrepancy is noticed in the application or the supporting documents at any stage of time during application process or even after grant of license.

- (5) No license to a Wood Based Industry shall be approved without obtaining the prior permission of the State Level Committee.
- (6) The State Level Committee for the purpose of approval of licenses shall consider the availability of wood in the State as mentioned above and shall account for against the application only for those Primary Units which require license.
- (7) Notwithstanding anything contained in these rules, the State Level Committee may determine and specify the procedure and mechanism for approval of new license, as it may deem fit and in accordance with the provisions contained in the guidelines or rules.

Grant of license or registration.

- 10. (1) The State Level Committee shall seek applications from desiring individuals online portal and forward it further to competent authority to carry out necessary verifications. After receiving recommendations from competent authority, the State Level Committee shall issue a letter of offer to the applicant stipulating all the terms and conditions for grant of license or or registration, as the case may be.
- (2) Every person who has been issued letter of offer under sub-rule (1), shall submit the letter of acceptance, in such form, along with such fee and within a period of thirty days or such period, as may be specified by the State Level Committee. If the letter of acceptance is not submitted along with the requisite fee within the stipulated period, the application shall be liable to be cancelled and the processing fees shall be forfeited.
- (3) The State Level Committee after receipt of the acceptance letter along with the requisite fees, direct the competent authority to grant license in Form-II.
- (4) Every person who has been granted license or registration shall set-up and establish the Wood Based Industry within the time specified by the State Level Committee and intimate to the competent authority regarding establishment of such industry. The competent authority after completing satisfactory due diligence and having satisfied with the setup of unit along with machinery in accordance with the license or registration issued, shall report the same to the State Level Committee in a specified format:

Provided that if an applicant fails to set-up and establish an industry within the stipulated period, the license or registration shall be liable to be cancelled.

- (5) Every person who has been granted license or registration under these rules shall obtain necessary permissions or license or registration, as may be applicable under the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948) and all other such laws and regulations of Central and State Government or Local Authorities, as the case may be, which are in force from time to time.
- (6) Issuance of letter of offer or grant of license or registration to any person shall not confer any right to seek exemptions or relaxations in obtaining various permissions and it shall be the responsibility of such person to meet the stipulated requirements of various processes related to obtaining clearances/permissions from various departments/authorities.
- (7) All Wood Based Industries shall follow all environment and other regulations prescribed by the State Pollution Control Board, Central Pollution Control Board and Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as applicable to these Industries under the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986) and other Central and State Acts.

11. Every license or registration granted under these rules shall remain valid for such period not exceeding five years from the date of issue or renewal, as the case may be.

Validity of license or registration.

12. (1) Any person who has been granted license or registration under these rules, may apply on online portal to the competent authority for renewal of the license or registration in Form-III within a period of three months before the expiry of the period for which such license or registration was granted to him.

Renewal of license or registration.

- (2) On receipt of an application, the competent authority shall make such inquiry, as he deems fit and after satisfying himself that such an application is in accordance with the guidelines issued by the State Government from time to time and forward his recommendations along with verification and comments to the State Level Committee within a period of thirty days from receipt of such application.
- (3) The State Level Committee, based on the verification done and comments submitted by the competent authority and subject to the fulfillment of all relevant conditions, may approve the application for renewal of license or registration and send it to the competent authority to grant of renewal of license or registration in Form-IV:

Provided that the State Level Committee shall have the powers to reject the application, if any, discrepancy is noticed in the application or the supporting documents at any stage of time during application process or even after grant of renewal of license or registration.

- (4) No license or registration to a Wood Based Industry shall be renewed without obtaining the prior approval of the State Level Committee.
- (5) The competent authority shall renew the license or registration after obtaining the approval of the State Level Committee.
- 13. The person seeking license or registration, renewal or transfer of license or registration under these rules, shall pay such amount of fees as notified by the Government from time to time

Fee.

- **14.** (1) Any person who has been granted license or registration under these rules may apply on online portal for transfer of the license or registration to the State Level Committee.
- Transfer of license or registration on sale or succession.
- (2) On receipt of an application on online portal, the State Level Committee shall forward it to the competent authority. The competent authority shall make such inquiry as he deems fit and after satisfying himself that such an application is in accordance with the guidelines issued by the State Government or Central Government from time to time and submit the application along with verification and comments and the relevant documents to the State Level Committee within a period of thirty days from the receipt of such application.
- (3) The State Level Committee, based on the verification done and comments submitted by the competent authority and subject to the fulfillment of all relevant conditions and the relevant documents in order, may approve the application for transfer of license or registration and forward it to the competent authority to grant transfer of license or registration:

Provided that the State Level Committee shall have the powers to reject the application, if any, discrepancy is noticed in the application or the supporting documents at any stage of time during application process or even after grant of transfer of license or registration:

Provided further that the State Level Committee shall not grant approval for transfer of such license or registration except in the following circumstances:-

- (a) application for transfer of the license or registration has been made after the expiry of 5 year period from the date of issue of license or registration.
- (b) application for transfer of the license or registration has been made before the expiry of five years from the date of issue of such license or registration on the grounds of inheritance and succession or division of business;
- (c) application for transfer of the license or registration has been made before the expiry of five years period from the date of issue of such license or registration and the licensee or registrant is willing to pay such amount fixed by the government from time to time.

- (4) Transfer of license on sale/succession etc. shall be done only with the prior approval of the State Level Committee.
- (5) The competent authority shall transfer the license or registration in favour of the licensee or registrant after obtaining the approval of the State Level Committee and in accordance with the procedure prescribed by the State Level Committee in this regard.

Re-location of Wood Based Industry.

- **15.** (1) Any person desiring to relocate any Wood Based Industry shall make an application to the State Level Committee which may enquire, or if it deems right may allow re-location of Wood Based Industry from one place to another.
- (2) No re-location of Wood Based Industries shall be allowed into area prohibited under these rules.
- (3) The total number of machines used and annual capacity of the industry before re-location shall not be increased.
 - (4) The machine types shall not be changed from one type to another.
- (5) The Wood Based Industry machinery and premises shall not be leased to any person or firm without the prior approval of the State Level Committee.

Appeal.

- **16.** (1) Any person aggrieved by any order passed by the Competent Authority under these rules may appeal before the State Level Committee within 60 days of passing of such an order.
- (2) Any person aggrieved by the decision taken by the State Level Committee may file an appeal before the concerned Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change at Chandigarh seeking appropriate relief within sixty days.
- (3) Head of Regional Office shall within sixty days of filing the appeal pass appropriate order.
- (4) If, for any reason, any person is aggrieved by the orders so passed in the appeal, he may prefer an appropriate petition/application/appeal in the Hon'ble High Court having jurisdiction over the concerned State/UT.

Maintenance of record.

- 17. (1) Every Wood Based Industry shall maintain proper record of the receipt and disposal of timber in accordance with Form-V(A) and V(B).
- (2) The Wood Based Industry shall produce the record for scrutiny and checking of the timber, whenever it is required by the competent authority or any other officer authorized by him.
- (3) In case the industry does not use the installed capacity to the full effect, the State Level Committee may take appropriate remedial actions including modification of license capacity and even revoking of license in case the industry is not using its optimal capacity continuously for a period of two years which is extendable up to three years. However, the period of two years may be further extended by one more year by the State Level Committee if the license or registration holder is able to provide sufficient justification.

Power to search the premises.

18. The State Level Committee or the competent authority or any other officer authorized by him, may at any time, enter the premises of any Wood Based Industry to ascertain the genuineness of the license or to check the timber.

Revocation of license or registration.

19. Notwithstanding anything contained in these rules, the State Level Committee or the competent authority, where it has reasons to believe that a Wood Based Industry is operating in contravention of the provisions of these rules or guidelines or conditions of the license or registration or is indulging in activities prejudicial to the interest of forest conservation, he may after giving an opportunity of being heard, cancel, suspend or revoke the license or registration granted under these rules.

Penalty.

20. Any contraventions of these rules shall be liable to penalty or punishment prescribed under section 77 of the Indian Forest Act, 1927 (Central Act 16 of 1927).

21. The Haryana Forest Regulation of Wood Based Industries Rules, 2005, Haryana Government, Forest Department, notification no. S.O. 34/H.F.R.W.B.I.R. 2005/R.6/2006, dated the 10th March, 2006 and Haryana Forest Management of Wood Based Industries Revolving Corpus Fund Rules, 2009 are hereby repealed:

Repeal and saving.

Provided that such repeal shall not,-

- (a) revive anything not in force or existing at the time at which the repeal takes effect; or
- (b) affect the previous operation of the rules so repealed or anything duly done or suffered there under; or
- (c) affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrue or incurred under the rules so repealed; or
- (d) affect any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the rules so repealed; or
- (e) affect any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid:

Provided further that any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the Haryana Forest Regulation of Wood Based Industries Rules, 2005 had not been notified.

FORM-I

[see rules 8,9]

APPLICATION FOR LICENSE/REGISTRATION TO SET UP AND OPERATE WOOD BASED INDUSTRIES

_	_
	.~

Member Secretary, State Level Committee, Wood Based Industries.

Subject:-

Application for new license/registration to establish and operate Wood Based Industries/ Timber Depot.

Photo

1.	Appli	cant	
	(i)	Name /Firm	:
	(ii)	Type of Applicant	:
	(iii)	Nature of Ownership	:
	(iv)	Name of Owner	:
	(v)	Father's name	:
	(vi)	Date of birth	:
	(vii)	Permanent Address	:
	(viii)	Present Address	:
	(ix)	Phone Number/Mobile Number	:
	(x)	Email	:
	(xi)	PAN/GST Number	:
	(xii)	Aadhar Number	:
2.	The p	roposed Unit	÷
	(i)	Name	÷
	(ii)	Location/Address	:
	(iii)	Forest Range/Division	:
	(iv)	District	:
	(v)	Distance from Nearest Reserved For	est:

- 3. Type and category of the unit to be set up(*Tick mark whichever is applicable*):
 - (a) Saw Mill (b) Veneer Mill (c) Plywood Industry (d) Standalone Chipper (e) Standalone Slicer (f) Standalone Press (g) Medium Density Fibre/High Density Fibre (h) Particle Board/Block Board/Paper Pulp/Rayon (i) Medium Density Fibre/High Density Fibre and Particle Board/Block Board (j) Katha Units (k) Charcoal Unit (l) Timber Depot (m) Others
- 4. Raw material to be used (*Tick mark whichever is applicable*):
 - (a) Wood from legal source (b) Sawn timber/materials from licensed saw-mills
- 5. Detail of Forest produce to be store in Wood Based Units and Depots.

6. Details of machinery to be installed (Saw, Peeler, Chipper etc.)

Serial number	Type of machines with size	Quantity	Capacity in Horse Power	Installed capacity in cubic meter (annual)	
				Round logs	Sawn timber
1					
2					
3					
4					
5					
6					

	5					
	6					
7.	Detai	l of land proposed for setup of u	ınit.			
	(a) A	rea:	(b)	Location:		
	(c)					Allotment/
	Plot	Number	(d)	Village:	(-)	N
	(e)10	own/City:e:	(i) District:	(g)	Name of the industrial
8.		ments to be uploaded(Tick mark	whichever is	applicable):		
	(a)	Address Proof.				
	(b)	Applicant Photo				
	(c)	Identity Proof (Pan Card, Aad	har Card, Driv	ving License or V	Voter Card).	
	(d)	Registration Certificate of the	Firm/Society/	Partnership or C	Company.	
	(e)	Location map of the unit show	ing the appro	ach.		
	(f)	Document showing ownership	/allotment of	land.		
Dec	laration	:				
	(1)		it the aforesai		e to my knowledge	situated at and no information has ation for license may be
	(2)	I do hereby undertake that I sl and operation of Wood Base Committee, Wood Based Indu officers authorized by the Sta Regulation) Guidelines, 2022.	sed Industries Istries Haryan ate Level Con	s unit and all a, other governm	the directions issue nent authorities and t	ed by the State Level the Courts including the

Signature of Applicant/Aadhar One Time Password verification.

FORM-II

[see rule 8 and 10]

PROFORMA FOR GRANTING LICENSE/REGISTRATION TO SETUP AND OPERATE WOOD BASED INDUSTRIES

Licens	se/Registration Number:					Photo
						
Licens S/o,W	te is hereby granted to Shri/Smt/Ms/Firm _ (0, D/o	hereinafter to	be ref	ferred as Li	cense holder) to	establish a Wood
	Industry under the provisions of Haryana values of the following details and subject to conditions					llation) Rules, 2022
1	Name of the unit					
2	Category of the unit					
3	Nature of ownership					
4	Location of the Unit with latitude/longitude					
5	Postal address of the unit	Plot Number	er			
		Village				
		District				
		Pin code				
6	Distance from nearest Reserved Forest					
7	Details of machinery and power sanctioned	Serial Machinery with s		size	Capacity (Horse Power)	
		1				
		2				
		3				
		4				
		5				
8	Capacity of the unit				r of round logs a r of sawn timber	•
9	Source of raw material					
10	Amount of License/Registration fee paid	Rupees vide Receip		per		
11	Validity of License		From			То

Date: Place: Signature, name and designation of Issuing Authority with Seal

Conditions:

- The license shall be valid for a period of five (5) years from _____ to ____ and may be renewed as prescribed under the rules.
- The licensee shall not alter the location of the Wood Based Industry without obtaining prior permission in writing to the Divisional Forest Officer concerned.
- The Wood Based Industrial Unit shall be subjected to inspection at any time by any authorized Forest Officer.
- The Wood Based Industrial Unit shall keep and maintain registers, documents and accounts in the form as required under these rules.
- The Wood Based Industrial Unit licensed for a particular category shall not be converted into any other category without obtaining a fresh license.
- The capacity of the Wood Based Industrial Unit shall not be enhanced or any new machinery other than those mentioned in the license shall not be installed without the prior approval of the State Level Committee.
- The location or building of the Wood Based Industrial Unit mentioned in the license shall not be shifted without the prior approval of the State Level Committee.
- The name of the Wood Based Industrial Unit mentioned in the license shall not be changed without the approval/permission of the State Level Committee.
- The license or ownership of the wood based industrial unit shall not be transferred without the prior permission of the State Level Committee.
- The premises of the Wood Based Industries including the yard for storage shall be enclosed within a fence fitted with proper gates.
- All the round timber, sawn timber and wastage shall be properly stacked for facilitating stock taking and inspection of supervisory Forest staff.
- 12 It shall be the personal responsibility of the licensee to obtain all necessary statutory permission/clearance from the concerned department/agencies/ authorities

Note.—	If the unit is found to have installed/operate any machine for which the license is not issued to the unit,
	permission given by the State Level Committee, Wood Based Industries, Haryana in respect of such unit
	shall be deemed to have been withdrawn/cancelled

Date: Place:

(Signature, name and designation of Issuing Authority with Seal)

FORM-III

[see rule 12]

PROFORMA FOR APPLICATION FOR RENEWAL OF LICENSE/REGISTRATION FOR WOOD BASED INDUSTRIES

То				
		Member Secretary,		
		State Level Committee,		
		Wood Based Industries.		
Subj	ect:-	Application for renewal of license	e/registration of Wood Based Industries/ Timber Depot.	
			ctioning in the same location, building with permitted	installed
of th	e condit		er the same ownership as per the license and have not vio ne validity of license/registration is up to The given as under:-	
1.	Appli	icant	:	
	(i)	Name /Firm	:	
	(ii)	Type of Applicant	:	
	(iii)	Nature of Ownership	:	
	(iv)	Name of Owner	:	
	(v)	Father's name	:	
	(vi)	Date of birth	:	
	(vii)	Permanent Address	:	
	(viii)	Present Address	:	
	(ix)	Phone Number/Mobile Number	:	
	(x)	Email	:	
	(xi)	PAN/GST Number	:	
	(xii)	Aadhar Number	:	
2.	Detai	l of existing unit		
	(i)	License/Registration number	:	
	(ii)	Date of Issue	:	
	(iii)	Valid Up to	:	
	(iv)	Existing Location	:	
	(v)	Whether transferred or not	:	
	(vi)	If Yes, (Specify Death Case, Owners	ship Transfer etc. and date of such Transfer)	
	(vii)	License/Registration issuing authority	y :	
3.	Type	and category of the unit (Tick mark	whichever is applicable):	

(a) Saw Mill (b) Veneer Mill (c) Plywood Industry (d) Standalone Chipper (e) Standalone Slicer (f) Standalone Press (g) Medium Density Fibre/High Density Fibre (h) Particle Board/Block Board/Paper Pulp/Rayon (i) Medium Density Fibre/High Density Fibre and Particle Board/Block Board (j) Katha Units (k) Charcoal Unit (l) Timber Depot (m) Others

4. Details of existing machinery installed (Saw, Peeler, Chipper etc.):

Serial number	Type of machines with specification/size	Quantity	Capacity in Horse Power	Installed capacity in cubic meter (annual)	
				Round logs	Sawn timber
1					
2					
3					
4					
5					
6					

5.	Documents to	be uploaded	Tick mark wh	nichever is	applicable	?):

- (a) Address Proof.
- (b) Applicant Photo.
- (c) Identity Proof (Pan Card, Aadhar Card, Driving License or Voter Card).
- (d) Registration Certificate of the Firm/Society/Partnership or Company.
- (e) Registration Certificate of the unit in Industries Department.
- (f) Location map of the unit showing the approach.
- (g) Document showing ownership/allotment of land.
- (h) Copy of existing License.
- (i) Copy of transferred certificate (if applicable)

I hereby apply for the renewal of the license/registration for a further term as provided in the Haryana Wood Based Industries (Establishment and Regulation) Rules, 2022.

Date:	
Place:	(Signature of the Licensee)

FORM-IV

[see rule 12]

PROFORMA FOR RENEWAL LICENSE/REGISTRATION FOR WOOD BASED INDUSTRIES

Sh/Sm Industr	t/Ms/Firm/ ries (Establishment and Regulation) Fons given on the reverse of the form.	under the pr	ovisions of	newed in favour Haryana Wood Ba letails and subject	sed Photo
1	Name of the Licensee/Registrant				
2	Father's name				
3	Address of the Licensee/ Registrant				
4	Nature of ownership				
5	Name of the unit				
6	Category of the unit				
7	Postal address of the unit	Plot Number			
		Village			
		District			
		Pin code			
8	Details of machinery	Serial Number	Machinery	with size	Power
	And power sanctioned	1			
		2			
		3			
		4			
		5			
9	Capacity of the unit	Cubic meter of round logs annually Cubic meter of sawn timber annually			
10	Source of raw material				
11	Amount of fee paid	Rupees vide Receipt No			
12	Validity of Renewed License/Registration	From To)	

Date:

Place: (Signature, name and designation of Issuing Authority with Seal)

Note: Same conditions for grant of license in Form II shall apply and to be printed on the reverse of this renewed License/Registration.

FORM-V (A)

[see rule 17 (1)]

Form of Register showing Receipts of Forest Produce in Wood Based Industry and Depot

Date of		Species			
Receipt	Source	Transit Permission Number	Date	Issued by	
(1)	(2)	(2b)	(2c)	(2d)	(3)

Quantity of Forest Produce (Class/Numbers in case of Poles, Bamboos, Plywood etc. And Tonnes in case of Fuel wood		Quantity of Sawn Sizes or other finished products obtained	Remarks
Numbers	Cubic Meters	Numbers/cubic meter	
(4a) (4b)		(5)	(6)
(4a) (4b)		(5)	(6)

FORM-V (B)

[see rule 17 (1)]

Form of Register showing the disposal of Forest Produce in the Wood Based Industry and Depot

Date of Disposal	Species	Details of Forest Produce disposed		
		Numbers	Cubic Meter	Permit number
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)

To whom disposed (Destination and Address)	Remarks (Cash Bill number etc.)
(4)	(4a)

A.K. SINGH, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Forests and Wildlife Department.

9563—L.R.—H.G.P., Pkl.